

राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक

प्रधान कार्यालय, जोधपुर 342003

(FI व कृषि ऋण)


केसीसी खाताधारको हेतु सूचना – **NEW**

राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक के समस्त केसीसी खाताधारको को सूचित किया जाता है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ व रबी फसलो का बीमा बैंक के माध्यम से किया जाता है, इसके लिये बीमा प्रीमियम की राशि की कटौती आपके किसान क्रेडिट कार्ड खाते से की जाती है। विदित है कि रबी फसल बीमा की अंतिम तिथि 31 दिसम्बर 2018 है। इसलिए आपको इस सूचना के द्वारा अवगत करवाया जाता है कि आप अपने केसीसी खाते से सम्बन्धित निम्नानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें :-

इस योजना का लाभ लेने के लिये अपने बैंक खाते से आधार लिंक करवाना अनिवार्य है, यदि आपने अपने आधार कार्ड को अपने खाते में लिंक नहीं करवाया है तो दिनांक 29 दिसम्बर 2018 तक अपने आधार कार्ड की प्रति सम्बन्धित राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक की शाखा में जमा करवाएं ताकि फसल बीमा सुनिश्चित किया जा सके। (आधार कार्ड नहीं होने की स्थिति में आधार हेतु एनरोलमेंट क्रमांक पत्र सुपुर्दगी सुनिश्चित करें)

नोट :- आपके किसान कार्ड खाते में आधार नम्बर नहीं होने की वजह से यदि आपकी फसल का बीमा नहीं होता है तो फसल का नुकसान होने पर बीमा क्लेम नहीं मिलने पर बैंक जिम्मेदार नहीं होगा।

अधिक जानकारी हेतु कृपया अपनी ऋण प्रदाता राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा से यथाशीघ्र सम्पर्क करें।


महाप्रबन्धक

